न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :— डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या :— 73/2024 जीसीएमएस नं.:— 2024/151

गिरीश कुमार गर्ग पुत्र श्री दाताराम गर्ग जाति वैश्य निवासी सन्तर रोड धौलपुर

———— ————————————प्रार्थी

बनाम

राज0 राज्य जरिये तहसीलदार मनियां

———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट0

उपस्थितिः— श्री हरिवीर सिंह, एडवोकेट प्रार्थीया की ओर से
पैरोकार सरकार, अप्रार्थी की ओर से

दिनांक — 24.01.2025

निर्णय

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से इस आशय का पेश किया कि ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर की गत आराजी खसरा नम्बर 143 रकवा 5—17 बीघा किस्म कछार खाकी दर्ज थी, के सोनपाल हिस्सा 1/2 एंव बल्ला हिस्सा 1/2 खातेदार काश्तकार थे। जमाबन्दी संवत 2022 एंव खसरा गिरदावरी संवत् 2015, 2019—20 एंव 2023—26 ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर की गत आराजी ख.नं. 143 रकवा 5 बीघा 17 विस्वा की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में कछार खाकी और सोनपाल हिस्सा 1/2 एंव बल्ला 1/2 की खातेदारी में हमेशा दर्ज रही। बन्दोबस्त विभाग ने गत आराजी ख.नं. 143 का नवीन ख.नं. 167 रकवा 4बीघा 17 विस्वा बनाया तथा बन्दोवस्त खतौनी में नवीन ख.नं. 167 पर सोनपाल को 1/2 भाग का एंव बल्ला को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार अंकित रखा गया, किन्तु नवीन ख.नं. 167 के कुल रकवा 4 बीघा 17 विस्वा में से 3 बीघा 17 विस्वा की किस्म कछार खाकी एंव 1 बीघा रकवा की किस्म गै0मु0 पोखर अंकित कर दिया जो नियम विरूद्ध एंव रिकॉर्ड के विपरीत दर्ज की गई है। गत ख.नं. 143 में से भूमि का कोई भी अंश कभी गै0मु0 पोखर नही रहा हमेशा से आराजी की किस्म कछार खाकी रिकॉर्ड में दर्ज रही है, और काश्त होती रही है किन्तु बन्दोवस्त विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी को खातेदारी में रखते हुए हाल ख.नं. 167 के कुल रकवा 4 बीघा 17 विस्वा में से 1 बीघा रकबा को गै0मु0 पोखर दर्ज कर दिया जो नियमों के विपरीत एंव गलत दर्ज किया गया है। बन्दोवस्त विभाग को पूर्व में हो रहे इन्द्राजों को बदलने का कोई अधिकार नही था उन्हे पूर्व के इन्द्राजों को ही दोहराना था। इस

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने बिना किसी अधिकार के खातेदारी भूमि में से 1 बीघा भूमि को गै0मु0 पोखर दर्ज किया गया। आराजी के तत्कालीन खातेदारों का देहान्त हो चुका है तथा विभिन्न नामान्तरकरणों से उनके वारिसान के नाम भूमि पर इन्द्राज हो चुका है तथा तत्कालीन खातेदारों द्वारा भूमि का बेचान किये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी 1/2 भाग का एंव अनिलकुमार, गिरीशचन्द एंव सतीशचन्द पुत्रगण नत्थीलाल जैन प्रत्येक 1/6–1/6 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। और काबिज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों कें संबध में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है। विवाद केवल भूमि की किस्म गलत किये जाने के संबध में है। राजस्व रिकॉर्ड का कम्प्यूटराइजेशन होने पर ग्राम एदलपुर के हाल ख.नं. 167 का क्षेत्रफल है0 में कायम हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ख.नं. 167 का रकवा 0.9737 है0 किस्म कछार एंव 0.2529 है0 किस्म गै0मु0 पोखर दर्ज की गई है। भूमि की गलत दर्ज किस्म गै0मु0 पोखर प्रार्थी दुरूस्त कराने के अधिकारी है। बन्दोबस्त से पूर्व के रिकॉर्ड अनुसार उक्त आराजी कभी भी गै0मु0 पोखर दर्ज नही था ना ही भूमि मौके पर पोखर है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर की आराजी ख.नं0 167 के रकबा 0.2529 है0 की किस्म गै0मु0 पोखर कलमजद किया जाकर किस्म पूर्ववत कछार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रमाणित प्रति मिलान क्षेत्रफल ख.नं. 167 ग्राम ऐदलपुर, जमाबंदी सं. 2022, 2019–22, 2023–26, 2027–30, 2035–38, 2039–42, 2044–47, 2048–51, 2052–55, 2056–59, 2060–63, 2064–67, 2068–71, 2072–75 2076–79 ग्राम एदलपुर, मिसल बन्दोवस्त, खसरा बन्दोवस्ती, नामान्तरकरण संख्या 110, 174, 176, 179, 262, 265 ग्राम एदलपुर की प्रमाणित प्रति बतौर साक्ष्य पेश की।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रिपोर्ट तहसीलदार मनियां से तलब की गई। तहसीलदार मनियां के पत्रांक 1218 दिनांक 26.12.2024 से रिपोर्ट इस आशय की प्राप्त हुई कि ग्राम एदलपुर का हाल खसरा नम्बर 167 रकवा 4–17 बीघा में से 3–17 बीघा किस्म कछार तथा 1 बीघा की किस्म गै0मु0 पोखर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वर्तमान ख.नं. 167 जो गत खसरा नम्बर 143 से बना है, जमाबंदी संवत 2022 में ख.नं. 143 रकवा 5–17 किस्म कछार खाकी, सोनपाल पुत्र भगवन्त हि0 1/2, बल्ला पुत्र छिद्दा 1/2 कौम धीमर सा0देह सं0 2014 गैर खातेदार दर्ज है। खसरा गिरदावरी संवत 2015, 2019–20, एंव 2023–26 में ख.नं. 143 रकवा 5–17 बीघा की किस्म कछार दर्ज है। वर्तमान ख.नं. 167 रकवा 4–17 किस्म कछार जिसमें से 3–17 की किस्म कछार तथा रकवा 1 बीघा गै0मु0 पोखर जमाबंदी मिसिल बन्दोवस्त संख्या 2029 के खाता संख्या 24 पर सोनपाल पुत्र सांवलिया हि0 1/2 कौम मनिहार मुसलमान सा0 विरौंधा, बल्ला पुत्र छिद्दा हि0 1/2 जाति धीमर सा0देह खातेदार दर्ज है। संवत 2029 के बाद ख0नं0 167 रकवा 4–17 बीघा की किस्म कछार एंव 1–00 बीघा की किस्म गै0मु0 पोखर आज दिनांक तक चली आ रही है। वर्तमान में उक्त ख.नं. पर अनिल कुमार, गिरीशचंद, सतीशचंद पि0 नत्थीलाल हि0 1/2 एंव गिरीशकुमार गर्ग पुत्र दाताराम गर्ग हि0 1/2 जाति वैश्य सा. धौलपुर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। वर्तमान में ख.नं. 167 रकवा 4–17 बीघा पर वर्तमान में सरसों की फसल खडी हुई है। मौके पर उक्त खसरा नम्बर में पोखर नही है। शुद्धि किया जाना उचित बताया है।

प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी एंव पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर की गत आराजी खसरा नम्बर 143 रकवा 5–17 बीघा किस्म कछार खाकी दर्ज थी, जिसके सोनपाल हिस्सा 1/2 एंव बल्ला हिस्सा 1/2 खातेदार काश्तकार थे। जमाबन्दी संवत 2022 एंव खसरा गिरदावरी संवत् 2015, 2019–20 एंव 2023–26 ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर की गत

उपखण्ड अधिकारी

आराजी ख.नं. 143 रकवा 5 बीघा 17 विस्वा की किस्म राजस्व रिकॉर्ड में कछार खाकी और सोनपाल हिस्सा 1/2 एंव बल्ला 1/2 की खातेदारी में हमेशा दर्ज रही। बन्दोबस्त विभाग ने गत आराजी ख.नं. 143 का नवीन ख.नं. 167 रकवा 4 बीघा 17 विस्वा बनाया तथा बन्दोवस्त खतौनी में नवीन ख.नं. 167 पर सोनपाल को 1/2 भाग का एंव बल्ला को 1/2 भाग का खातेदार काश्तकार अंकित रखा गया, किन्तु नवीन ख.नं. 167 के कुल रकवा 4 बीघा 17 विस्वा में से 3 बीघा 17 विस्वा की किस्म कछार खाकी एंव 1 बीघा रकवा की किस्म गै0मु0 पोखर अंकित कर दी। गत ख.नं. 143 में से भूमि का कोई भी अंश कभी गै0मु0 पोखर नही रहा हमेशा से आराजी की किस्म कछार खाकी रिकॉर्ड में दर्ज रही है, और काश्त होती रही है किन्तु बन्दोवस्त विभाग द्वारा बिना किसी अधिकार के उक्त आराजी को खातेदारी में रखते हुए हाल ख.नं. 167 के कुल रकवा 4 बीघा 17 विस्वा में से 1 बीघा रकबा को गै0मु0 पोखर दर्ज कर दिया जो नियमों के विपरीत एंव गलत दर्ज किया गया है। बन्दोवस्त विभाग को बन्दोवस्त से पूर्व हो रहे इन्द्राजों को दोहराने का ही अधिकार था। बन्दोवस्त विभाग को भूमि की किस्म को बदलने का कोई अधिकार नही था। परन्तु बन्दोवस्त विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों ने मनमाने तरीके से रकवा 4–17 बीघा में से 01–00 बीघा भूमि की किस्म को नियम विरूद्ध एंव रिकॉर्ड के विपरीत गै0मु0 पोखर दर्ज कर दीया। आराजी के तत्कालीन खातेदारों का देहान्त हो चुका है तथा विभिन्न नामान्तरकरणों से उनके वारिसान के नाम भूमि पर इन्द्राज हो चुका है तथा तत्कालीन खातेदारों द्वारा भूमि का बेचान किये जाने पर राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी 1/2 भाग का एंव अनिलकुमार, गिरीशचन्द एंव सतीशचन्द पुत्रगण नत्थीलाल जैन प्रत्येक 1/6–1/6 भाग के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। और काबिज है। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सों कें संबध में पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नही है। विवाद केवल भूमि की किस्म गलत किये जान के संबध में है। राजस्व रिकॉर्ड का कम्प्यूटराइजेशन होने पर ग्राम एदलपुर के हाल ख.नं. 167 का क्षेत्रफल है0 में कायम हुआ है। वर्तमान जमाबन्दी अनुसार ख.नं. 167 का रकवा 0.9737 है0 किस्म कछार एंव 0.2529 है0 किस्म गै0मु0 पोखर दर्ज की गई है। तहसीलदार मनियां द्वारा भी उनकी रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र के संबध में कोई आपत्ति नही की गई है तथा शुद्धि किए जाने की अभिशंषा की गई है। अतः भूमि की गलत दर्ज किस्म गै0मु0 पोखर को प्रार्थी कछार दर्ज कराने के अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर ग्राम एदलपुर तहसील धौलपुर की आराजी ख.नं0 167 के रकबा 0.2529 है0 की किस्म गै0मु0 पोखर कलमजद किया जाकर किस्म पूर्ववत् कछार अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किए जावे।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान तहसीलदार मनियां से प्राप्त रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा प्रार्थी द्वारा वांछित शुद्धि के संबध में कोई आपत्ति नही की।

उभयपक्ष की बहस सुनने एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन कर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबंन्दी संवत् 2022 के अवलोकन से ख.नं. 143 रकवा 05–17 बीघा भूमि का प्रकार कछार खाकी दर्ज है। नकल मिलान क्षेत्रफल मौजा एदलपुर तहसील धौलपुर के अवलोकन से गत ख.नं. 143 रकवा 5–17 बीघा का हाल ख.नं. 167 रकवा 4–17 बीघा होना स्पष्ट है। मिसल बन्दोवस्त के गत भूभाग के विवरण कॉलम संख्या 10 भूमि वर्गीकरण में भूमि की किस्म कछार खाकी दर्ज है। जमाबंदी संवत 2029 में नवीन ख.नं. 167 रकवा 4–17 वीघा किस्म 3–17 बीघा कछार तथा 1–00 बीघा गै0मु0 पोखर दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट है कि गत आराजी ख0नं0 143 का संपूर्ण रकवा कछार खाकी दर्ज था तथा बन्दोवस्त के पश्चात् संवत 2029 में तैयार की गई जमाबंदी में हाल नंम्बर 167

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

रकवा 4–17 बीघा में से 3–17 बीघा, कछार तथा 1–00 बीघा गै0मु0 पोखर दर्ज किया गया है। जिसके पश्चात् जमाबंदी संवत् 2035–38 में भी हाल नंम्बर 167 रकवा 4–17 बीघा में से 3–17 बीघा, कछार तथा 1–00 बीघा गै0मु0 पोखर दर्ज है, जो सही नही है। हम वकील प्रार्थी के इस कथन से सहमत है कि बन्दोवस्त विभाग को बन्दोवस्त के दौरान गत इन्द्राजो को सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना बदलने का कोई अधिकार नही था। मिसल बन्दोवस्त में भी ऐसा कोई उल्लेख नही है कि बन्दोवस्त विभाग द्वारा उक्त इन्द्राजो को बदलने हेतु कोई आदेश जारी कराया हो। अतः बन्दोवस्त विभाग द्वारा सक्षम स्तर से जारी आदेश के बिना किए गए गै0मु0 पोखर के इन्द्राज सही नही है। तहसीलदार मनियां द्वारा भी उनकी रिपोर्ट में वर्तमान ख.नं. 167 रकवा 4–17 बीघा पर वर्तमान में सरसों की फसल खडी होना तथा मौके पर उक्त खसरा नम्बर में कोई पोखर नही होना बताया है तथा शुद्धि किया जाना उचित बताया है। अतः हम पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एंव तहसीलदार मनियां से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वांछित शुद्धि किया जाना उचित समझते है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड एंव तहसीलदार मनियां की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम ऐदलपुर के आ0ख.नं0 167 के रकबा 0.2529 है0 की किस्म गै0मु0 पोखर कलमजद किया जाकर किस्म कछार दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है।

आदेश आज दिनांक 24.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)